



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 मार्च 2013-चैत्र 8, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मेरे पिता श्री शौकीलाल बिहारे के सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम चंदन अंकित है। जबकि सभी शासकीय एवं अर्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रविकुमार बिहारे अंकित है। रविकुमार बिहारे उर्फ चन्दन एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं।

पुराना नाम :

(चन्दन)

नया नाम :

(रविकुमार बिहारे)

24/375, शास्त्री नगर,

पाथाखेड़ा, जिला बैतूल (म. प्र.),

पिन कोड-460449.

(368-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, वन्दना शिन्दे पिता श्री महादेवराव शिन्दे, राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी होकर वर्तमान में सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, इन्दौर के पद पर पदस्थ हूँ।

मेरा विवाह दिनांक 28-05-2006 को भोपाल निवासी श्री संजय इंगले पिता श्री भाऊराव इंगले से सम्पन्न हुआ। विवाह उपरान्त मेरा नाम परिवर्तित होकर वंशिका इंगले हो गया है। तदनुसार शासकीय अभिलेख में मेरा नाम श्रीमती वंशिका इंगले पति श्री संजय इंगले किया जाता है।

पुराना नाम :

(वंदना शिन्दे)

पिता श्री महादेवराव शिन्दे

नया नाम :

(वंशिका इंगले)

पति श्री संजय इंगले

(367-बी.)

उपनाम परिवर्तन

मैं, नंदकिशोर अहिरवार आत्मज श्री मिट्टूलाल अहिरवार, स्थायी निवासी: रामपुर, तहसील-पिपरिया, जिला-होशंगाबाद (म. प्र.). मैं, अपना सरनेम अहिरवार से परिवर्तन कर सागर सरनेम कर रहा हूँ. मुझे भविष्य में नंदकिशोर सागर से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(नंदकिशोर अहिरवार)

नया नाम:

(नंदकिशोर सागर)

वर्तमान निवासी : म. नं. 58, राजसम्राट कॉलोनी,
नियर वृंदावन नगर, अयोध्या बायपास रोड,
भोपाल (म. प्र.)-462041.

(366-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Tajender Singh Malhotra S/o Late Inder Singh Age about 59 years doing business and R/o House No. 7, Sector-A, BDA Colony, Teela Jamalpura, District Bhopal-462001 (M.P.). Has change my name and hence-forth I, will be known as, Tajender Singh (To), Tajender Singh Malhotra in Future.

Old Name :

(Tajender Singh)

New Name :

(Tajender Singh Malhotra)

Address : House No. 7, Sector-A,
BDA Colony, Teela Jamalpura,
District Bhopal-462001 (M. P.).

(370-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम कु. हेमलता मोरे पुत्री श्री के. बी. मोरे, निवासी हरीशंकरपुरम, लशकर, ग्वालियर था और इसी नाम से मैं जानी-पहचानी जाती थी. लेकिन मेरी शादी विवेक पिसाल, निवासी क्वा. नं. 499, टाईप-3, शास्त्री नगर, गांधी रोड, ग्वालियर के साथ हो जाने से मेरा नाम कु. हेमलता मोरे से बदलकर श्रीमती वसुंधरा पिसाल पत्नी श्री विवेक पिसाल हो गया है. मेरा विवाह श्री विवेक पिसाल से दिनांक 7-7-2003 को हिन्दू रीति रिवाज से हुआ है. मैं, अब भविष्य में श्रीमती वसुंधरा पिसाल पत्नी श्री विवेक पिसाल के नाम से जानी-पहचानी जाऊंगी तथा मेरा वर्तमान नाम श्रीमती वसुंधरा पिसाल समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों एवं अन्य प्रमाण-पत्र, रिकॉर्ड में अंकित किया जावे. जिसके समर्थन में शपथ-पत्र मेरे द्वारा दिया गया है. अतः हर आम व खास सूचित हो.

पुराना नाम :

(हेमलता मोरे)

नया नाम:

(वसुंधरा पिसाल)

पत्नी श्री विवेक पिसाल,
क्वा. नं. 499, टाईप-3, शास्त्री नगर,
ग्वालियर (म. प्र.).

(371-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म देवराज एसोसिएट्स, पोहरी वायपास रोड, शिवपुरी मध्यप्रदेश फर्म एवं सोसायटी के रूप में— 1. श्री पवन खटीक पुत्र ओमप्रकाश खटीक, कमलागंज, शिवपुरी को दिनांक 01-10-2012 से सम्मिलित किया जा रहा है. जिस कारण से इस दिनांक से फर्म में भागीदारों की संख्या चार से बढ़ाकर पांच कर दी गई है. इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो सूचना के दिनांक से सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें.

Rajkumar Khatik

(राजकुमार खटीक)

प्रेषक

देवराज एसोसिएट्स

रिलायंस ऑफिस के पास,

पोहरी वायपास रोड, शिवपुरी.

(369-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अदित्य (ADITYA) था, परन्तु अब मेरा नाम आदित्य सूर्या (ADITYA SURYA) हो गया है।

अतः अब मुझे सभी संदर्भ में आदित्य सूर्या (ADITYA SURYA) के नाम से जाना एवं पुकारा जावे।

पुराना नाम :

(अदित्य)

नया नाम:

(आदित्य सूर्या)

26, जवाहर मार्ग, पटनीबाजार,
उज्जैन (म. प्र.).

(372-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा मूल नाम लाखनसिंह पिता श्री रतनलाल गौहर है, सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम लाखन गौहर लिखा है, जो सही नहीं है। अतः मुझे मेरे मूल नाम लाखनसिंह गौहर के नाम से ही जाना जाये।

पुराना नाम :

(लाखनसिंह)

नया नाम:

(लाखनसिंह गौहर)

पिता रतनलाल गौहर,
24/4, न्यू पलासिया एच कॉलोनी,
इन्दौर (म. प्र.).

(373-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम श्याम बुधानी (SHYAM BUDHANI) से परिवर्तित होकर अब मेरा नया नाम दिव्य बुधानी (DIVYA BUDHANI) हो गया है। अतः अब मुझे मेरे नये नाम दिव्य बुधानी (DIVYA BUDHANI) से जाना एवं पहचाना जाए।

पुराना नाम :

(श्याम बुधानी)

(SHYAM BUDHANI)

नया नाम:

(दिव्य बुधानी)

(DIVYA BUDHANI)

बंगला नं 9, शालीमार इनक्लेव,
ई-3, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म. प्र.).

(374-बी.)

उपनाम परिवर्तन

मैं, अलीअसगर स्टेशनरीवाला ने अपना उपनाम परिवर्तन कर अली असगर मालक कर लिया है। अतः अबसे मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए।

पुराना नाम :

(अली असगर स्टेशनरीवाला)

नया नाम:

(अली असगर मालक)

106-बी, सैफीनगर, इन्दौर (म. प्र.).

(375-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, वंदना भंसाली ने अपना नाम परिवर्तन कर दीपिका भंसाली कर लिया है। अतः अबसे मुझे इसी नाम से जाना -पहचाना जाए।

पुराना नाम :

(वंदना भंसाली)

नया नाम :

(दीपिका भंसाली)

71-B, छत्रपतिनगर, इन्दौर (म. प्र.).

(376-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, पुष्पा खिरे ने अपना नाम परिवर्तन कर वैशाली करोड़े कर लिया है. अतः अबसे मुझे इसी नाम से जाना -पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(पुष्पा खिरे)

नया नाम:

(वैशाली करोड़े)

416, राजाराम नगर,
वार्ड नं. 10, देवास (म. प्र.).

(377-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, पूजा पंजवानी ने विवाहोपरान्त अपना नाम परिवर्तन कर सिद्धी चिमनानी कर लिया है. अतः अबसे मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(पूजा पंजवानी)

नया नाम:

(सिद्धी चिमनानी)

12/1, नार्थ राजमोहल्ला, इन्दौर (म. प्र.).

(378-बी.)

उपनाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम हकिमुद्दीन हुसैन था, जिसमें मैंने अपना उपनाम बदलकर हकिमुद्दीन इज्ज़ी कर लिया है. अतः अब मुझे मेरे नए नाम हकिमुद्दीन इज्ज़ी से लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(हकिमुद्दीन हुसैन)

नया नाम:

(हकिमुद्दीन इज्ज़ी)

23-बी, सतपुडा कॉलोनी, बड़वानी (म. प्र.).

(379-बी.)

उपनाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम मनोज कुमार जैन था, जिसमें मैंने अपना उपनाम बदलकर मनोज कुमार कासलीवाल कर लिया है. अतः अब मुझे मेरे नए नाम मनोज कुमार कासलीवाल से लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(मनोज कुमार जैन)

नया नाम:

(मनोज कुमार कासलीवाल)

3, कंचन इनक्लेव,
51/72, कंचन बाग, इन्दौर (म. प्र.).

(380-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

चूंकि "स्वावलंबन ट्रस्ट" कार्यालय 499, स्कीम नं. 51, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर से आवेदिका सुश्री रेणुका जोशी, निवासी 499, स्कीम नं. 51, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम :	“स्वावलंबन ट्रस्ट”.
पता :	499, स्कीम नं. 51, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति :	निरंक.
चल सम्पत्ति :	रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र).

आज दिनांक 01 जून, 2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

बी. बी. एस. तोमर,
रजिस्ट्रार.

(170)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास का पंजीयक, क्षेत्र मनावर, जिला धार

मनावर, दिनांक 8 मार्च, 2013

फॉर्म-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

आवेदक श्री चैरियान पुल्लिकल, कोषाध्यक्ष, आदिवासी जनजाति बालक छात्रावास, पता-बिशप्स हाऊस, कैथोलिक डायोसिस ऑफ इन्दौर, 10-ओल्ड सीहोर रोड, इन्दौर (म. प्र.) द्वारा आदिवासी जनजाति बालक छात्रावास न्यास, ग्राम धानी, तहसील धरमपुरी, जिला धारा का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत लोक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 8 अप्रैल, 2013 को प्रातः 11.00 बजे की जावेगी.

उक्त पंजीयन के संबंध में यदि किसी को किसी प्रकार की आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहते हैं, वह मेरे समक्ष उपर्युक्त तारीख पर व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. उपर्युक्त नियत अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम . . . आदिवासी जनजाति बालक छात्रावास न्यास, ग्राम धानी, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म. प्र.).
2. चल सम्पत्ति . . . निरंक.
3. अचल सम्पत्ति . . . ग्राम चिकट्यावड़, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म. प्र.)

स्थित निम्नानुसार भूमि—

भूमि सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
213	1.862
197/1	1.252
197/2/2	0.506
285/1	0.886
527/285	0.051
183/1/1	0.882
183/1/1	0.405
183/1/2	0.430

(171)

अभय सिंह ओहरिया,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन

प्र. क्र. /बी-113/2012-13.

प्रारूप-चार

[नियम- 5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास, उज्जैन,
जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि प्रतिनिधि श्री दिनेश पिता रंगलालजी जैन, निवासी-34, मुसद्दीपुरा, शिवाजी मार्केट, उज्जैन ने श्री जिनशासन सेवा शिक्षा संस्कार संकुल ट्रस्ट उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 25 मार्च, 2013 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 25 मार्च, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अधिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	..	श्री जिनशासन सेवा शिक्षा संस्कार संकुल ट्रस्ट उज्जैन.
कार्यालय	..	अभ्युदयपुरम् टोल नाके के पास, बड़नगर रोड, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	..	ग्राम मंगरोला, तहसील उज्जैन, भूमि सर्वे क्रमांक 3/1 रकबा 1.220 हे. रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र की छायाप्रति के आधार पर.
चल सम्पत्ति	..	आवेदन-पत्र अनुसार पंजाब नेशनल बैंक, शाखा फ्रिंगंज, उज्जैन में रुपये 11,000/- हैं.

(172)

प्र. क्र. 11/बी-113/2011-12.

उज्जैन, दिनांक 19 फरवरी, 2013

प्रारूप-चार

[नियम- 5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास, उज्जैन.
जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि प्रतिनिधि श्री पदम सिंह पिता भंरवसिंह पटेल आदि ने संकट मोचन धार्मिक न्यास, पता-संकट मोचन, हनुमान मंदिर, ग्राम गंगेडी, तहसील व जिला उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 18 जून, 2012 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 8 मार्च, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	..	संकट मोचन धार्मिक न्यास.
कार्यालय	..	संकट मोचन, हनुमान मंदिर, ग्राम गंगेडी, तहसील व जिला उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	..	निरंक.
चल सम्पत्ति	..	निरंक.

(172-A)

आर. एस. मीना,
पंजीयक एवं संयुक्त कलेक्टर.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, लोक न्यास, शिवपुरी

प्र. क्र. 01/2012-13/बी-113.

दिनांक 11 मार्च, 2013

[देखें नियम]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के तहत]

चूंकि लोक न्यास ग्राम भारती लोक सेवा न्यास की ओर से आवेदक श्री वीरेन्द्र शर्मा, निवासी शिवपुरी ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन पेश किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 16 अप्रैल, 2013 को विचार में लिया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, तो लिखित में 2-2 प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के एक माह के अन्दर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष में स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

अनुसूची

लोक न्यास का नाम	..	ग्राम भारती, लोक सेवा न्यास, शिवपुरी.
पता	..	सरस्वती शिशु मंदिर परिसर अस्पताल चौराहा, शिवपुरी.
चल सम्पत्ति	..	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा शिवपुरी में खाता क्रमांक 613202010000878 में जमा राशि रुपये 1,000.00.
अचल सम्पत्ति :	..	वर्तमान में निरंक है.

डी. के. जैन,

रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(173)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, सागर

सागर, दिनांक 7 मार्च, 2013

प्र. क्र. 08 बी/113 वर्ष/2012-13.

मौजा-सागरखास

क्र. क/946/री-2/अ.वि.अ./13.—एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमति चंद्रकला मुणोत द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि श्री देव केशरिया नाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट, सागर ट्रस्ट कमेटी, सागर रजिस्ट्रेशन नंबर 65 पर पंजीकृत लोक न्यास अधिनियम, 1951 का (क 30) की धारा-9 (1) के अन्तर्गत लोक न्यास रजिस्ट्रार में ट्रस्ट कमेटी की मीटिंग दिनांक 15 अगस्त, 2012 के अनुसार ट्रस्ट समिति द्वारा चुनाव कर नये ट्रस्टी बनाये हैं. निम्नानुसार कमेटी दर्ज किये जाने बावत लेख किया है:—

परिवर्तन का स्वरूप Nature of Change	परिवर्तन करने के कारण Reasoning for the Change	टिप्पणियां Remarks
1. श्रीमति चन्द्रकला मुणोत-अध्यक्ष	1. सेठ रिखबदास मुणोत-पूर्व अध्यक्ष	
2. श्री हसमुख भाई साफी-उपाध्यक्ष	2. सुरेन्द्र कुमार मुणोत-पूर्व अध्यक्ष	
3. श्री राजेन्द्र कुमार मुणोत-कोषाध्यक्ष	3. हरिनारायण माहेश्वरी-सदस्य	
4. श्री अंकित मुणोत-सचिव	4. कृष्णदत्त मेहता-सदस्य	
5. डॉ. विजय मुणोत-वरिष्ठ सदस्य	5. प्रेम नारायण रावत-सदस्य	
6. श्री अशोक कुमार सुराना-सह सचिव	6. हर प्रसाद पुरोहित-सदस्य	
7. श्री सुजानमल जैन-सदस्य		
8. श्री प्रकाश चंद्र जैन-सदस्य		
9. श्री नवीन भाई-सदस्य		
10. श्री सुधीर भाई मेहता-सदस्य		
11. श्री अशोक कुमार मुणोत-सदस्य		
12. श्री विजय मुणोत-सदस्य		

अतः उपरोक्तानुसार परिवर्तन किये जाने में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा उजर हो तो वह पेशी दिनांक 06 अप्रैल, 2013 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेश कर सकता है। बाद गुजरने म्याद के किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा उजर पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 07 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी।

पेशी, दिनांक 06-04-2013.

(166)

रवीन्द्र चौकसे,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा

प्र. क्र. 5/बी-113 (1)/2012-13.

खण्डवा, दिनांक 21 फरवरी, 2013

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि श्री दुर्गाशंकर गुप्ता, निवासी खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 27 मार्च, 2013 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता / अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता : सुन्दरबाई पूनमचंद गुप्ता, पारमार्थिक न्यास, खण्डवा.

चल सम्पत्ति : रुपये 1,11,000/- नगद.

अचल सम्पत्ति : निरंक.

(167)

हरिसिंह चौधरी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी, लखनादौन, जिला सिवनी

रा. प्र. क्र. 09/बी-113 (1)/2012-13.

दिनांक 23 जनवरी, 2013

ग्राम बर्रा पो. सादक, सिवनी,
थाना व तह. छपारा
जिला सिवनी (म. प्र.)

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री रजनीश सिंह ठाकुर पिता हरवंश सिंह ठाकुर एवं अन्य चार न्यासीगण सभी निवासीगण ग्राम बर्रा पो. सादक सिवनी, थाना व तहसील छपारा, जिला सिवनी मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत लोक न्यास के पंजीयन के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये हैं कि न्यास का नाम सरेखा बाई झनकलालसिंह पारमार्थिक ट्रस्ट,

ग्राम बर्गा, पो. सादक सिवनी, थाना व तहसील छपारा, जिला सिवनी मध्यप्रदेश का पंजीयन कराना चाहते हैं.

कार्यकारी न्यासी और प्रबंधक के नाम पते सहित निम्नानुसार है:—

1. श्री रजनीश पिता हरवंश सिंह ठाकुर (न्यास लेखक) न्यासी, निवासी ग्राम बर्गा पो. सादक, सिवनी, थाना व तहसील छपारा, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश.
2. श्रीमति विसराति सिंह पति रामजियन सिंह, निवासी 41, नया गांव, जबलपुर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश.
3. श्री अवनीश सिंह पिता श्री हरवंश सिंह ठाकुर, निवासी गण ग्राम बर्गा, पो. सादक सिवनी, थाना व तहसील छपारा, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश.
4. श्रीमति करुणा सिंह पति श्री अभिराज सिंह, निवासी 511, बापू जी नगर, बारापत्थर, जिला सिवनी.
5. श्रीमति पवन सिंह पति श्री हरवंश सिंह (न्यासिका) ग्राम बर्गा पो. सादक सिवनी, थाना व तहसील व छपारा जिला सिवनी, मध्यप्रदेश.

उक्त लोक न्यास की कोई चल-अचल सम्पत्ति नहीं है क्योंकि ट्रस्ट का गठन अभी हाल में हुआ है.

उक्त न्यास का उद्देश्य सार्वजनिक पारमार्थिक न्यास के निष्पादन हेतु किया गया है. श्री रजनीश सिंह पिता श्री हरवंश सिंह, निवासी ग्राम बर्गा, पो. सादक सिवनी, थाना व तहसील छपारा, जिला सिवनी जिन्हें इसके पश्चात् न्यास लेखक संबोधित किया गया है. प्रथम पक्षकार श्रीमति विसराति सिंह पति श्रीराम जियन सिंह निवासी 41, नया गांव, जबलपुर, जिला जबलपुर.

2. श्री अवनीश सिंह पिता श्री हरवंश सिंह, निवासी ग्राम बर्गा, पो. सादक सिवनी, थाना व तहसील छपारा, जिला सिवनी.
3. श्रीमति करुणा सिंह पति श्री अभिराज सिंह, निवासी 511, बापू जी नगर, बारापत्थर, जिला सिवनी.
4. श्रीमति पवन सिंह पति श्री हरवंश सिंह (न्यासिका) ग्राम बर्गा पो. सादक सिवनी, थाना व तहसील व छपारा, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश. जिन्हें इसके पश्चात् संयुक्त रूप से न्यासियों संबोधित किया गया है.

न्यास का उद्देश्य आम जनता के उपयोग के लाभ हेतु किया गया है.

अतः उक्त न्यास के पंजीयन किये जाने में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति प्रस्तुत करना हो उक्त संदर्भ में कोई भी आम नागरिक अपनी आपत्तियां न्यायालय में दिनांक 23 फरवरी, 2013 को उपस्थित होकर स्वयं या अपने वैध अभिभाषक के मारपथ प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति/दावा प्राप्त होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और यह समझा जावेगा कि उक्त संबंध में कोई भी दावा आपत्ति विचार करने में रूचि नहीं है. आवेदक और आवेदक के आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाये और सरेखा बाई झनकलाल सिंह पारमार्थिक ट्रस्ट, ग्राम बर्गा, पो. सादक, सिवनी, थाना व तहसील छपारा, जिला सिवनी मध्यप्रदेश का गठन किया जावे.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी

लता पाठक,
अनुविभागीय अधिकारी.

पेशी दिनांक 23-02-2013

(174)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विजयराघवगढ़, जिला कटनी

कटनी, दिनांक 2 नवम्बर, 2012

क्र./परि./2012/क्यू.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी के आदेश क्रमांक/स्था./11/472, कटनी, दिनांक 15 जून, 2011 मुझे

निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापन नियुक्त किया जाकर संस्थाओं की लेनदारी-देनदारी का निराकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है विवरण निम्न है:—

क्रमांक	संस्था का नाम एवं पता	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. व दिनांक
1.	आदिवासी मछुवा सहकारी समिति मर्या., कारीतलाई	11/04-10-2000	583/31-08-2009
2.	कर्मवीर खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., नन्हवारा	6/05-08-2000	729/25-10-1998
3.	आदिवासी श्रमठेका सहकारी समिति मर्या., मेहगांव	1781/17-07-1998	
4.	क्षे. बेरोजगार कामगार सहकारी समिति मर्या., वि. गढ़	1814/24-04-1999	728/25-10-2008
5.	आदिवासी कामगार रेत उत्खनन सहकारी समिति मर्या., चपना	25/06-09-2002	595/31-08-2009
6.	शक्तिपुंज महिला बहु. उद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कारीतलाई	27/24-12-2007	601/31-08-2009
7.	महिला बहु. उद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बरही	33/12-11-2003	592/31-08-2009
8.	दुर्गा महिला बहु. उद्देशीय सहकारी समिति मर्या., भैसवाही	1799/12-11-1997	600/31-08-2009
9.	गांधी लाइम स्टोन सहकारी समिति मर्या., कुटेश्वर	1491/27-05-1998	147/26-04-2010
10.	एवेरेस्ट कर्म. सहकारी साख समिति मर्या., कैमोर	1816/25-05-1999	585/31-08-2009
11.	कर्मवीर खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., नन्हवारा	1699	1347/09-11-2000

अतः मैं, अरविन्द कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1962 के नियम क्र.-57 के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था/संस्थाओं के प्रति जिस किसी के पास कोई दावा आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी-देनदारी शेष हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि के पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड/परिसंपत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवे अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

(151)

कटनी, दिनांक 2 नवम्बर, 2012

क्र./परि./2012/क्यू.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी के आदेश क्रमांक/स्था./11/472, कटनी, दिनांक 15 जून, 2011 मुझे निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापन नियुक्त किया जाकर संस्थाओं की लेनदारी-देनदारी का निराकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है विवरण निम्न है:—

क्रमांक	संस्था का नाम एवं पता	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. व दिनांक
1.	मालहन मछुआ सहकारी समिति मर्या., भगनवारा	36/18-11-2004	37/15-01-2009
2.	सुफला उद्यानिकी सहकारी समिति मर्या., पिपरियाकला	22/04-06-2002	34/15-01-2009

अतः मैं, अरविन्द कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1962 के नियम क्र.-57 के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था/संस्थाओं के प्रति जिस किसी के पास कोई दावा आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी-देनदारी शेष हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि के पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का

कोई भी रिकॉर्ड/परिसंपत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवे अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

(151-A)

अरविन्द कुमार जैन,
सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी के आदेश क्रमांक/स्था./750, कटनी, दिनांक 12 जून, 2012 मुझे निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया जाकर संस्थाओं की लेनदारी-देनदारी का निराकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है विवरण निम्न है:—

क्रमांक	संस्था का नाम एवं पता	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. व दिनांक
1.	आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., चंदौल	292/14-03-1987	
2.	जय माँ शारदा उत्खनन सहकारी समिति मर्या., सर्लया	1715/21-07-1997	1314/09-11-2000
3.	शक्तिपुंज महिला बहु. उद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मुरवारी	2/06-09-2002	595/31-08-2009
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उमरियापान	440/06-10-1977	1102/16-04-1991
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खमतरा	681/20-11-1988	1433/29-04-1997
6.	लोकचेतना साग-सब्जी, फल-फूल, औषधि विप. सह. समिति मर्या., सिलौड़ी.	15/12-07-2001	39/19-01-2009
7.	कृषि उत्पादन साग-सब्जी, फल-फूल, औषधि विप. सह. समिति मर्या., नैगई.	14/12-07-2001	35/15-01-2009

अतः मैं, गीतेश कुमार मेहरा, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1962 के नियम क्र.-57 के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था/संस्थाओं के प्रति जिस किसी के पास कोई दावा आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी-देनदारी शेष हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयवाधि के पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड/परिसंपत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवे अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

(151-B)

गीतेश कुमार मेहरा,
सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, रीठी, जिला कटनी

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी के आदेश क्रमांक 11/472, कटनी, दिनांक 15 जून, 2011 मुझे निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया जाकर संस्थाओं की लेनदारी-देनदारी का निराकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है विवरण निम्न है:—

क्रमांक	संस्था का नाम एवं पता	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. व दिनांक
1.	श्री गणेश मछुआ सहकारी समिति मर्या., पड़वार	1445/ . .	1115/01-11-2006
2.	लक्ष्मी चावल-दाल मिल उद्योग सहकारी समिति मर्या., स्लीमनाबाद	245/09-03-1965	3713/16-12-1990

अतः मैं, एस. के. जैन, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1962 के नियम क्र.-57 के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था/संस्थाओं के प्रति जिस किसी के पास कोई दावा आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी-देनदारी शेष हो तो वे इस सूचना पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि के पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड/परिसंपत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(151-C)

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी के आदेश क्रमांक 11/472, कटनी, दिनांक 15 जून, 2011 मुझे निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया जाकर संस्थाओं की लेनदारी-देनदारी का निराकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है, विवरण निम्न है:—

क्रमांक	संस्था का नाम एवं पता	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. व दिनांक
1.	आदर्श दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., इमलाज	541	1114/16-04-1991
2.	शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., अमगवां	78/31-07-2007	593/31-08-2009
3.	सामूहिक उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या., घुघरा	1761	1052/22-11-2007
4.	सामूहिक नलकूप सहकारी समिति मर्या., रैपुरा	1778	1053/22-11-2007
5.	हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्या., बिलहरी	776/27-03-1987	263/10-03-2006
6.	जयभारत चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., बिलहरी	233/03-01-1999	864/11-09-2006

अतः मैं, एस. के. जैन, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1962 के नियम क्र.-57 के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था/संस्थाओं के प्रति जिस किसी के पास कोई दावा आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी-देनदारी शेष हो तो वे इस सूचना पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि के पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड/परिसंपत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

एस. के. जैन,

(151-D)

सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, शिवपुरी

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	बैंड बाजा श्रमिक कारीगर सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी.	448/31-12-1999	1376/30-11-2011	श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(153)

निम्नांकित सूची के कॉलम नं. 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	साकेत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी	152/20-11-1985	1376/30-11-2011	श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 26 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

एस. के. सिंह,
उप-रजिस्ट्रार.

(153-A)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपछि/परि./2013/255.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पिंडरईकलां, पंजीयन क्रमांक 572, दिनांक 27 अप्रैल, 1998 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1695, दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 से परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक श्री अनिल कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी ने संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझमें वेष्टित रजिस्ट्रार की शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पिंडरईकलां, पंजीयन क्रमांक 572, दिनांक 27 अप्रैल, 1998 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 19 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(154)

जी. एस. डेहरिया,
उप-रजिस्ट्रार.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर

मन्दसौर, दिनांक 31 जनवरी, 2013

नगरपालिका प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मन्दसौर, तहसील व जिला मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक / 770 / दिनांक 26 सितम्बर, 1995 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2008/1436, दिनांक 26 सितम्बर, 2008 एवं संशोधित आदेश क्र./परि./870/12 दिनांक 14 अगस्त, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. एल. बामनिया, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने का अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(155)

भारतसिंह चौहान,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1542.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1231, दिनांक 28 अगस्त, 2000 से प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., बनियानी, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 693, दिनांक 26 नवम्बर, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1136, दिनांक 20 अक्टूबर, 2010 से श्री एन. एस. बरोलिया, S.C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, वनियानी, पंजीयन 693, दिनांक 26 नवम्बर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(168)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1543.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1231, दिनांक 28 अगस्त, 2000 से प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., छतरपुर, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 707, दिनांक 11 दिसम्बर, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1136, दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 से श्री एन. एस. बरोलिया, S.C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, छतरपुर, पंजीयन 707, दिनांक 11 दिसम्बर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(168-A)

उमेश कुमार तिवारी,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 मार्च 2013-चैत्र 8, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के सीधी, मण्डला जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील कुसमी (सीधी), मण्डला, नारायणगंज (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील नैनपुर (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, छतरपुर, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, नीमच, शाजापुर, देवास, राजगढ़, मण्डला, सिवनी व झाबुआ, कटनी में रबी की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला सिंगरौली व कटनी में फसल गेहूँ व डिण्डोरी में गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर व श्योपुर, ग्वालियर, छतरपुर, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, देवास, खरगौन, मण्डला तथा सीधी, झाबुआ, बुरहानपुर, राजगढ़, सिवनी में रबी फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला दमोह में फसल ज्वार व सिवनी में धान एवं मण्डला में कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, छतरपुर, सागर, शहडोल, उमरिया में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य में प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, मक्का, सोयाबीन, तुअर, कपास, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अंटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक. तिल, मूँगमोठ, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) उड़द, सोयाबीन, गन्ना अधिक. मक्का कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुंगावली	..				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. गुना	..				
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, गेहूँ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, अरहर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. लौण्डी	..				
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ा मलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. अजयगढ़	..				
2. पन्ना	..				
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू, प्याज समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	..				
2. खुरई	..				
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व ज्वार की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, तुअर, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, मसूर कम. गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर अधिक. गेहूँ, चना, मसूर, जौ, अलसी, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. गयपुरकर्चुलियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मटर, मसूर कम. तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
5. बुढार	..				
6. गोहपास	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) राई-सरसों, अलसी, गेहूँ, चना, मसूर अधिक. राहर, कोदों समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, अरहर अधिक. गेहूँ, चना, अलसी कम. राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, जौ कम. अलसी, राई-सरसों, चना, मटर, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	6.0				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, अरहर, मूँग, अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, सरसों अधिक. चना कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. सीतामऊ	..				
7. धुन्धड़का	..				
8. शामगढ़	..				
9. संजीत	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
5. बड़ौद	..				
6. शाजापुर	..				
7. शुजालपुर	..				
8. कालापीपल	..				
9. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन अधिक. ज्वार, मक्का, कपास कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. रबी की जुताई एवं रबी की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, गेहूँ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. भामरा	..				
4. कट्टीवाडा	..				
5. सोण्डवा	..				
6. उदयगढ़	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. सनावद	..				
3. महेश्वर	..				
4. सेगांव	..				
5. करही	..				
6. खरगोन	..				
7. गोगावां	..				
8. कसरावद	..				
9. मुल्ठान	..				
10. भगवानपुरा	..				
11. भीकनगांव	..				
12. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी:	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
*जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
जिला बुधनपुर:	मिलीमीटर	2. रबी की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) कपास, तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) सोयाबीन अधिक. गन्ना, ज्वार कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		मक्का, मूँगफली, तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		राई-सरसों.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..		(2) ..		
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर, गन्ना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		मूँगफली समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
*जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आष्टा	..		(2) ..		
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. बैतूल	..				
4. मुलताई	..				
5. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) धान, सोयाबीन अधिक. गन्ना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		मूँगमोठ, उड़द कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) गेहूँ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	..				
4. रहटगांव	..				
5. सिरोली	..				
6. हण्डिया	..				
*जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोरा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पाटन	..		(2) ..		
3. जबलपुर	..				
4. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की जुताई एवं गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) चना, गेहूँ, मसूर, अलसी, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) गेहूँ, चना, बटरा, मसूर, अलसी सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. नैनपुर	24.0				
4. मण्डला	4.6				
5. नारायणगंज	1.0				
6. घुघरी	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. डिण्डोरी	..		4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) ..		
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांढुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हरई	..				
11. मोहखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी की बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) राई-सरसों, गन्ना अधिक. गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, अलसी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसीर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) गेहूँ, चना, उड़द, अलसी, राई-सरसों, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला गुना, बड़वानी, खण्डवा, सीहोर, रायसेन, जबलपुर, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(165)